आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–46 / 2020–21

1. पप्पु साहु, पे०–सुभाष साहु, सा०–बाबुराम टोली, बुण्डू, डाकखाना–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची।..अपीलार्थी।

बनाम

1. झारखण्ड सरकार अंचल अधिकारी, बुण्डू।....................................विपक्षी।

आदेश

23/02/2021

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–128 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–05/01/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा मौजा–बुण्डू, थाना–बुण्डू, थाना सं०–28, खाता संख्या–1191, खेसरा सं०–2685, रकवा–07 डीसमील भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। जिसका चौहदीः– उ०–वसन्ती देवी, द०–रास्ता, पू०–धनन्जय साहु, प०–प्लॉट 2684 का अंश है।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–128 R27/2017-2018/बुण्डू का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार केस नं०–9, 36, 37, 43, 329, 398, R27 15–16, 65 16–17 इनमें विक्रेता मो० कलेश्वरी देवी, पति स्व० बसंत लाल भगत, श्री भागवत भगत पिता स्व० राम किष्टो भगत, प्रेम कुमार भगत पिता स्व० राम किष्टो भगत के नाम से नामांतरण की स्वीकृति दी गयी है। पंजी 2 में रैयत का नाम श्रीमती सुशिला देवी, पति राम किश्टो भगत दर्ज है। वाद संख्या–128 में विक्रेता केवल प्रेम कुमार भगत पिता स्व० राम किष्टो भगत परन्तु आवेदक द्वारा आपसी बंटवारा सम्बंधित कागजात संलग्न नहीं किया गया ह। ऐसी स्थिति में भूमि विवादास्पद है। वर्त्तमान नामांतरण अस्वीकृत की जा सकती है। अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक भूमि से संबंधित वांछित कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतः राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण अस्वीकृत किया जाता है। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार विक्रेता प्रेम कुमार भगत, पिता–स्व० रामकिष्टो भगत एवं उनके भाईयों का मौखिक बंटवारा हो चुका है। विक्रेता एवं उनके भाईयों का वंशावली इस प्रकार हैः–सुशीला देवी (पंजी।। रैयत) पति–स्व० रामकिष्टो भगत के तीन पुत्र क्रमशः बसंत लाल भगत वो भागवत भगत वो प्रेम कुमार भगत (विक्रेता) हुए। बसंत लाल भगत अपने पीछे एक पुत्र संजय भगत को छोड़कर मृत हो गए। इसी प्रकार भागवत भगत भी अपने पीछे एक पुत्र पंकज भगत को छोड़कर मृत हो गए। अपीलार्थी कथित भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है।

अपीलार्थी की ओर से संजय भगत पिता स्व० बसंत लाल भगत एवं पंकज भगत पिता स्व० भागवत भगत का शपथ पत्र क्रमशः Ref No. 06 22 FEB 2021, Ref No. 07 22 FEB 2021 प्राप्त है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि शपथ पत्र क्रमशः Ref No. 06 22 FEB 2021, Ref No. 07 22 FEB 2021 के आधार पर वाद में अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.08.23 13:12:41 +05:30
Location: 10.93.79.7

8.2.21
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

8.2.21
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।